Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 03/2023

Md. Irtza Alam .... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors .... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	03.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत सेवा अपील वाद जिला पदाधिकारी, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक–763 दिनांक–24.11.2022 के विरूद्ध दायर किया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अल्पसंख्यक कार्यालय, किशनगंज में प्रधान सहायक के पद पर पदस्थापित थे। इनके विरूद्ध M.S.D.P. योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने सहित अन्य आरोप प्रपत्र 'क' में गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त अनियमितता के आलोक में ज्ञापांक–428 दिनांक–06.09.2014 द्वारा इन्हें निलंबित कर दिया गया। विभागीय कार्यवाही का संचालन प्रारंभ करते हुए संचालन पदाधिकारी के रूप में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज एवं कालांतर में वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज को नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–853 दिनांक–20.06.2018 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में कार्यालय पत्रांक–269 दिनांक–20.06.2018 द्वारा अपीलार्थी से लिखित अभिकथन की माँग की गई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक–08.07.2020 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' में कुल आठ आरोप प्रतिवेदित है। जिसमें आरोप सं0–01 को प्रमाणित एवं शेष आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेशों का हमेशा अनुपालन किया जाता रहा है। उल्लेखनीय है कि वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु इनके माध्यम से अंचलाधिकारी, ठाकुरगंज के पदनाम से पत्र प्रारूप उपस्थापित किया गया था। किन्तु संचिका के टिप्पणी भाग में अंचलाधिकारी के स्थान पर भूलवश प्रखंड विकास पदाधिकारी अंकित हो गया था, जो मात्र एक लिपिकीय भूल है। M.S.D.P. योजना अंतर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र अथवा अन्य योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी का चयन जिला पदाधिकारी द्वारा की जाती है जिसमें इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। उक्त आरोप में ये निर्दोष हैं। वार्ड सं0–13	

Web Copy Not Official.

		के नाम पर योजना स्वीकृत किये जाने के संबंध में इनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि 13वीं वित्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी क्रमशः	
	लगातार 03.11.2023	द्वारा दी जाती थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज के पत्रांक–1259 दिनांक–27.08.2012 एवं पत्रांक–1465 दिनांक–10.09.2012 द्वारा वार्ड संख्या के आधार पर आँगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें केन्द्र संख्या अंकित नहीं था। उक्त सभी प्रक्रियाओं में जिला योजना पदाधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर उप विकास आयुक्त तथा जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाता था। जिसमें अपीलार्थी की कोई भूमिका नहीं रहती थी। पूर्व से स्वीकृत 55 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 19 केन्द्रों पर कार्य कराया जा रहा था। प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज द्वारा जिला कार्यालय को भेजी गई प्रस्ताव को बगैर जाँच किये सभी नये केन्द्र पुनः जिला द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण से संबंधित योजनाओं में कुल प्रशासनिक स्वीकृत राशि का 50% विमुक्त किया गया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज द्वारा योजना कार्यालय में समर्पित भ्रामक एवं गलत प्रमाण पत्र को बगैर जाँच एवं बिना भौतिक सत्यापन के वर्ष 2013–14 में कुल 67 आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त कर दी गई। जिसमें 50 अपूर्ण योजनाओं में 50% किस्त की अग्रिम राशि भी सम्मिलित है। इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त की गई। इससे स्पष्ट है कि उक्त राशि दिशा–निर्देशों के विपरीत थी। जिसमें अपीलार्थी की कोई भूमिका नहीं है। अपीलार्थी द्वारा विभागीय प्रावधानों के अंतर्गत संचिका उपस्थापित की गई थी। M.S.D.P. संचिकाओं का संधारण प्रारंभ में जिला कल्याण प्रशाखा के माध्यम से किया जाता था जिसे बाद में जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार जिला योजना कार्यालय में संधारित किया जाने लगा। फलतः इनके द्वारा प्रधान सहायक के रूप में हस्ताक्षर कर संचिका नहीं बढ़ाई गई है। द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त करने में अपीलार्थी की कोई भूमिका नहीं है। योजनाओं के जाँच के संबंध में कार्यालय द्वारा टिप्पणी के बावजूद प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा बिना समुचित निर्णय के राशि विमुक्ति का आदेश पारित कर दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज से प्राप्त 23 आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए द्वितीय किस्त की राशि विमुक्ति की अधियाचना पर समुचित जाँचोपरांत राशि विमुक्त करने की टिप्पणी की गई जिसपर विमर्शोपरांत तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया; किन्तु योजना से संबंधित कोई आदेश पारित नहीं हुआ। इस प्रकार किसी भी योजना का विधिवत् भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। जिसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं पोषणीय नहीं है। उपरोक्त वर्णित तमाम प्रक्रियाओं में मूलतः सेंट्रल डाटाबेस	

Web Copy. Not Official.

		तैयार नहीं रहने के कारण अनियमितता परिलक्षित होती है। जिसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है। अपीलार्थी द्वारा बार–बार अपने वरीय पदाधिकारी को टिप्पणी के माध्यम से संसूचित किया जाता रहा है। 19 नये केन्द्रों की स्वीकृति हेतु उपस्थापित संचिका में अपीलार्थी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। संचालन क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 03.11.2023	पदाधिकारी द्वारा न्यायिक दृष्टिकोण से परे यांत्रिक रूप से प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। आरोप सं0–01 में मात्र लिपिकीय भूल हुई है जिसे अपीलार्थी द्वारा स्वीकार भी किया गया है किन्तु इसे प्रमाणित करना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा पर कोई विचार नहीं किया गया और इनके विरूद्ध असंचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित करना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ जिला पदाधिकारी, किशनगंज ने पत्रांक–300 दिनांक–21.04.2023 द्वारा मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के आलोक में विधिवत् विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अपीलार्थी से द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गई। अपीलार्थी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा की समीक्षा की गई। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से जिला पदाधिकारी सहमत होते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध संसूचित दंड को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित बताया है। इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने योग्य बताया गया है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध कुल आठ आरोप प्रतिवेदित है। अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के समीक्षोपरांत यह विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज से प्राप्त करने हेतु टिप्पणी अभिलिखित की गई किन्तु पत्र का प्रारूप अंचलाधिकारी, ठाकुरगंज को संबोधित था और उक्त पत्र अंचलाधिकारी, ठाकुरगंज को ही भेजा गया था जिसे उन्होंने लिपिकीय भूल स्वीकार किया है। यह बहुत गंभीर प्रकृति का आरोप प्रतीत नहीं होता है। आँगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण हेतु कार्यकारी एजेंसी का चयन तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी के द्वारा किया गया था और निर्माण संबंधी अनुमोदन प्राधिकृत समिति से कराये जाने का प्रावधान नहीं रहने के कारण इसका उल्लेख टिप्पणी में नहीं किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराये गये टिप्पणी की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्यवाहक लिपिक द्वारा योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं एजेंसी के चयन पर निर्णय हेतु उपस्थापित संचिका में अपीलार्थी द्वारा यह टिप्पणी दी गई है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव में आँगनबाड़ी	

Web Copy, Not Official.

		केन्द्रों की संख्या अंकित नहीं रहने के साथ–साथ प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी से किन–किन योजनाओं से कौन–कौन आँगनबाड़ी स्वीकृत है एवं अभी वर्त्तमान स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त करने संबंधी टिप्पणी अंकित है। किन्तु तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के उक्त टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अग्रसारित कर दिया गया। इनका यह भी कथन है कि क्रमशः	
	लगातार 03.11.2023	अगर तत्समय प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया गया होता तो इस प्रकार की अनियमितता से बचा जा सकता था। इसमें अपीलार्थी का कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है। जहाँ तक 19 नये केन्द्रों की स्वीकृति हेतु उपस्थापित संचिका टिप्पणी पृष्ठ 20/टि0 एवं 22/टि0 के आलोक में निर्गत कार्यालय आदेश ज्ञापांक–894 दिनांक–06.12.2012 में अपीलार्थी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि उक्त संचिका अपीलार्थी के माध्यम से उपस्थापित नहीं की गई थी। आरोप सं0–5, 6, एवं 7 के संबंध में अपीलार्थी का अभिकथन है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज से प्राप्त अधियाचना एवं अन्य प्रमाण पत्र के आधार पर द्वितीय किस्त के विमुक्ति हेतु कार्यवाहक लिपिक द्वारा संचिका उपस्थापित की गई थी। यद्यपि M.S.D.P. द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में द्वितीय किस्त की राशि के विमुक्ति के पूर्व योजनाओं की जाँच कराने की कोई बाध्यता नहीं थी तथापि इनके द्वारा प्रभारी पदाधिकारी के समक्ष अधियाचित राशि संबंधी योजना की जाँच कराने के प्रस्ताव के साथ संचिका उपस्थापित की गई। परंतु प्रभारी पदाधिकारी द्वारा इसे नजरअंदाज करते हुए द्वितीय किस्त की राशि विमुक्ति हेतु संचिका अग्रसारित की गई। टिप्पणी के अवलोकन से अपीलार्थी के कथन की पुष्टि होती है। यदि कार्यान्वित योजनाओं का भौतिक सत्यापन करा लिया जाता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसमें अपीलार्थी की कोई गलत मंशा परिलक्षित नहीं होती है। आरोप सं0–08 के संबंध में इनका कथन है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–220 दिनांक–27.12.2011 द्वारा M.S.D.P. योजना अंतर्गत किशनगंज जिला में कुल 469 म0वि0/उ0म0वि0 में एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण हेतु आवंटन प्राप्त हुआ था। तदालोक में इनके द्वारा विभागीय स्वीकृति एवं प्राप्त आवंटन के आलोक में निर्णय हेतु संचिका उपस्थापित की गई थी। इस प्रकार अपीलार्थी का कथन साक्ष्य समर्थित है जिसमें अपीलार्थी को दोषी ठहराया जाना सही प्रतीत नहीं होता है। अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, किशनगंज के दंडादेश ज्ञापांक–763 दिनांक–24.11.2022 को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। अपील आवेदन स्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी सहित जिला पदाधिकारी, किशनगंज को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।	

Web Copy. Not Official.

		लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.